


**फर्द अहकाम**  
बनाम

नाम न्यायालय  
केस संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>में हुई। तृटि को प्रा. पत्र 136 LR स्वर के तहत शुद्ध किया जाना उचित समझे हैं। अतः प्रा. पत्र 136 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम गोंडकाबाल के राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमाबंदी संवत् २०७५-७४ के खाता सं. ४४ नया व पुराना ४५ किता २० शकबा प. १५ हैं. में अंकित <sup>नाम</sup> टिडूराम पुत्र रामू के स्थान पर शिव कुमार उर्फ टिडूराम पुत्र रामलाल उर्फ रामू शुद्ध किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद तहसील नम्बर लेकम होकर दायित्व दफ्तर हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)